Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

RBE No.32/2012

No. E(MPP)2009/3/14

Dated: 13.03.2012

The General Manager,
All Indian Railways including Production Units

CORRIGENDUM

Sub: - Revised training module for Assistant Loco Pilots.

Kindly refer Board's letter of even number dated 26.09.2011 enclosing therein the Advance Correction Slip 218 I amending para 137(2)(iv) of Sub Section III of Section 'B' under Chapter –I of IREM Vol.I.

The following may please be modified

Para 137(2)(iv)

as

Para 137(2)(iii)

2. In view of the above changes, the Indian Railway Establishment Manual Volume I (1989 Edition) is accordingly amended as in Advance Correction Slip No.222 (enclosed).

DA: as above

(Anil Wason)
Dy. Director/MPP
Railway Board

No. E(MPP)2009/3/14

Dated: 13.03.2012

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi, with 35 spares.
2. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi, with 35 spares.
3. The Secretary General FROA, Room No.256-A Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.
4. The Secretary General, IRPOF, Room No.268 Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.
5. All Members, Departmental Council and Secretary Staff side National Council 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi with 90 spares
6. The General Secretary, AIRPF Association, Room No,256 Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.
7. General Secretary, All India Scheduled Castes & Scheduled Tribes Railways Employees Association, 171/B-3 Basant Lane Railway Colony New Delhi (15 copies)

For Secretary Railway Board

Contd/.....

Copy to:

PS & ED(PG) to MR, MSR(A) & MSR(M)

PPS to CRB, FC, ML, MM, MS, MT, DG(RHS), DG(RPF),

PPS to AM(Budget), AM(CE), AM(C&IS), AM(Comml), AM(Elect), AM(Fin.), AM(Mech.), AM(Plg), AM(Project), AM(PU), AM(Sig), AM(Staff), AM(Rly Stores), AM(T&C), AM(Telecom), AM(Traffic), AM(Works), Adv.L(RS), Adv(Vig), Adv.Fin(Exp), Adv(IR), Adv(Safety), LA, OSD(MIS).
ED(Plg), ED(Accts), EDF(BC), EDCE(B&S), EDCE(G), EDCE(Plg), ED(Coaching), ED(CC), ED(C&IS), ED(E&R), EDEE(Dev), EDEE(G), EDE, ED(RRB), EDE(N), EDE(Res), EDF, EDF(E), EDF(S), EDF(B), EDF(RM), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDLM, ED(MIS), EDE(GC), ED(T&MPP), EDME(Chg), EDME(Fr.), EDME(Tr.), EDME(TOT), EDME(Dev), EDME(W), ED(PC)I, ED(PC)II, ED(PP), ED(Project), ED(Project/DMRC, EDRE, ED(safety), JS, JS(C), JS(E), JS(G), JS(P), IG/RPF(Hqs), IG/RS, ED(Sig), ED(Stat & Econ), EDRS(C), EDRS(C), EDRS(G), EDRS(P), EDRS(S), EDRS(W), ED(TD), EDTT(M), EDT(MC), EDT(P), ED(T&C), EDCE(P), ED(PM), ED(PG), EDTC(R), EDTC(FM), EDTT(F), EDTT(FM), EDTT(S), EDV(A), EDV(E), EDV(T), ED(W).

Chief Commissioner of Railway Safety Lucknow.

E(Trg), E(NG)I, E(NG)II, E(G), F(E)I, F(E)II, F(E)III , E(SCT)I, E(SCT)II Branches of Railway Board

Indian Railway Establishment Manual Vol. I (1989 Edition)

Advance Correction Slip No.222

Amend the following vide para 137(2) (iii) of Sub-Section III of Section 'B' under Chapter-I of Indian Railway Establishment Manual Vol. I (1989 Edition)

137(2) (iii) Training and Stipend: They will be on training for a period of 17 weeks. Stipend: ₹.5830 +1900/-

(Authority: Railway Board's letter No. E(MPP)2009/3/14 dated: 13.03.2012)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आर.बी.ई. सं. 32/2012

सं. ई (एम पी पी)/2009/3/14 नई दिल्ली, दिनांक: 13 .03.2012

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां,

शुद्धिपत्र

विषय: सहायक लोको पायलटों के लिए संशोधित प्रशिक्षण मॉड्यूल .

बोर्ड के दिनांक 26.9.2011 के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें, जिसके साथ भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I के अध्याय-I के अंतर्गत खंड 'ख' के उपखंड III के पैरा 137 (2) को संशोधित करते हुए अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 218 I संलग्न है।

कृपया निम्नलिखित को आशोधित किया जाए:

पैरा 137 (2) (iv) को पैरा 137 (2) (iii) के रूप में

2. उपर्युक्त परिवर्तनों को देखते हुए तदनुसार भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I (1989 संस्करण) को अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.222 (संलग्न) के अनुसार संशोधित किया जाता है।

संलग्नक: यथोक्त

(अनिल वासन)
उप निदेशक (जनशक्ति योजना)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. महासचिव, ए आई आर एफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ (35 अतिरिक्त प्रतियां)
2. महासचिव, एन एफ आई आर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ (35 अतिरिक्त प्रतियां)
3. महासचिव, एफ आर ओ ए, कमरा नं. 256 ए, रेल भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ (5 अतिरिक्त प्रतियां)
4. महासचिव, आई आर पी ओ एफ, कमरा नं.268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)
5. राष्ट्रीय परिषद् और विभागीय परिषद् के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद्, 13-सी, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियां)

...2/...

6. महासचिव, ऑल इंडिया आर पी एफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256, रेल भवन, नई दिल्ली-110001 को सूचनार्थ (5 अतिरिक्त प्रतियां)
7. महासचिव, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, 171/बी-3 बंसत लेन रेलवे कॉलोनी नई दिल्ली (15 अतिरिक्त प्रतियां)

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :

रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री (ए) तथा रेल राज्य मंत्री (एम) के **निजी सचिव और कार्यपालक निदेशक (जनशिकायत),**

प्रधान निजी सचिव :
अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य बिजली, सदस्य यांत्रिक, सदस्य कार्मिक, सदस्य यातायात, महानिदेशक/रेल स्वा. से., महानिदेशक/रे.सु.ब.

प्रधान निजी सचिव :
अपर सदस्य (बजट), अपर सदस्य (सीई), अपर सदस्य (सीएंडआईएस), अपर सदस्य (वाणिज्य), अपर सदस्य (बिजली), अपर सदस्य (वित्त), अपर सदस्य (यांत्रिक), अपर सदस्य (योजना), अपर सदस्य (परियोजना), अपर सदस्य (उत्पादन इकाइयां), अपर सदस्य (सिगनल), अपर सदस्य (कार्मिक), अपर सदस्य (रेल भंडार), अपर सदस्य (टी एंड सी), अपर सदस्य (दूरसंचार), अपर सदस्य (यातायात), अपर सदस्य (निर्माण), सलाहकार (आरएस), सलाहकार (सतर्कता), सलाहकार वित्त (व्यय), सलाहकार (आईआर), सलाहकार (संरक्षा), विधि सलाहकार, विशेषकार्याधिकारी (एमआईएस)

सभी कार्यपालक निदेशक

मुख्य रेल सुंरक्षा आयुक्त, लखनऊ.

ई (ट्रेनिंग), ई (एन जी) I, ई (एन जी) II, ई (जी), एफ (ई) I, एफ (ई) II, एफ (ई) III, ई (एससीटी) I, ई (एससीटी) II रेलवे बोर्ड की शाखाएं

भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द I (1989 संस्करण)

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 222

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I (1989 संस्करण) के अध्याय-I के अंतर्गत खंड 'ख' के उप-खंड III के पैरा 137 (2) (iii) के तहत निम्नलिखित संशोधन किया जाए :-

137 (2) (iii) प्रशिक्षण एवं वृत्तिका : वे 17 सप्ताह की अवधि के लिए प्रशिक्षण पर होंगे.
वृत्तिका : 5830+1900 रुपए

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 13.03.2012 का पत्र सं. ई (एम पी पी)/2009/3/14)